न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 397 / 2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1.भंवरलाल पुत्र तुलसाराम निवासी सालूजी का तला, तहसील बायतू व जिला बालोतरा।		1.तहसीलदार बाडमेर, जिला बाड़मेर 2.श्रीमती उगम पत्नी विश्नाराम निवासी बोड़वा तहसील बायतू व जिला बालोतरा 3.हरिदेव पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी सेवनियाला तहसील बायतू व जिला बालोतरा हाल निवासी अम्बेडकर कॉलोनी बाड़मेंर 4.भीखाराम पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी कोसरिया तहसील बायतू व जिला बालोतरा 5.कनकों देवी पत्नी हंजारी राम 6.गोपाल पुत्र हंजारी 7.जगदीश पुत्र गोधूलाल 8. लूणीदेवी पत्नी गोधूलाल 9.केवलचंद पुत्र गोरखाराम जातियान मेघवाल निवासीयान ढाणी बाजार, चंचल प्रागमठ के पास बाड़मेंर तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री सुरेश कुमार पूनड़ वकील प्रार्थी पक्ष।
2. पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 12.09.2025

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 से 9 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा व पटवार हल्का बाड़मेंर आगोर तहसील व जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 1740 रकबा 2.1044 हेक्टयर किस्म बा.दो. की हुई है।

प्रार्थी एंव विप्रार्थी संख्या 2 से 4 वादग्रस्त आराजी में जरिये केता खातेदार बने हैं एंव विप्रार्थी संख्या 6 से 9 की पैतृक एंव पुश्तैनी भूमि है जो वक्त सेटलमेंट से चनणा वल्द हरचन्द व केवलचंद वल्द गोरखाराम के नाम से संयुक्त खातेदारी की राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई थी। उक्त भूमि में से मूल खातेदारों द्वारा पंजीबद्ध [illegible] हुए। चनणा वल्द हरचंद की फौतगी वर्ष 2006 में एंव उनके पुत्र गोधूलाल की फौतगी दिनांक 20.02.2003 को होने से जरिये फौतगी नामांतरकरण संख्या 918 स्वीकृत दिनांक 05.07.2006 के जगदीश, [illegible]राम, शंकर पिसरान गोधूलाल, लूणी पत्नी गोधूलाल का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। वादग्रस्त आराजी के खातेदार जगदीश पुत्र गोधूलाल द्वारा 1 बीघा का पंजीबद्ध बेचान दिनांक 31.07.2006 को प्रार्थी भंवरलाल पुत्र तुलसाराम के पक्ष में निष्पादित किया, उक्त पंजीबद्ध बेचान उप पंजीयक कार्यालय बाड़मेंर कार्यालय में दिनांक 31.07.2006 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:46:26 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

संख्या 272 में पृष्ठ संख्या 63 कम संख्या 2006001899 पर दर्ज हैं, उक्त पंजीवद्ध बेचान के पश्चात नामांतरकरण संख्या 964 स्वीकृत दिनांक 05.07.2006 के द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। खातेदार जगदीश द्वारा 1 बीघा भूमि बेचान प्रार्थी भंवरलाल के पक्ष में दिनांक 31.07.2006 को करने के पश्चात जगदीश के पास 0.13 बिस्वा भूमि ही शेष बचती थी लेकिन जगदीश द्वारा अपने हिस्से में शेष बची भूमि से अधिक अर्थात 1 बीघा भूमि का पंजीवद्ध बेचान दिनांक 10.11.2009 को उगम पत्नी किशनाराम के पक्ष में निष्पादित कर दिया। उक्त बेचान के पश्चात म्यूटेशन संख्या 1772 दिनांक 05.12.2009 के द्वारा श्रीमती उगम का नाम वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज हुआ। शंकरलाल पुत्र गोधूलाल द्वारा 1 बीघा का पंजीबद्ध बेचान दीपाराम पुत्र भीखाराम पुत्र उदाराम के पक्ष में निष्पादित किया गया जिस पर म्यूटेशन संख्या 1209 दिनांक 05.11.2007 के द्वारा भीखाराम पुत्र उदाराम का नाम वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। शंकरलाल पुत्र गोधूलाल उर्फ गोरधनलाल जो लाऔलाद फौत होने पर फौतगी म्यूटेश संख्या 1443 दिनांक 05.08.2008 के द्वारा विधिक वारिशान शंकरलाल का हिस्सा समायोजित किया गया। लूणीदेवी द्वारा 1 बीघा भूमि का पंजीबद्ध बेचान दीपाराम पुत्र भंवरलाल के पक्ष में निष्पादित करने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 1257 स्वीकृति दिनांक 20.01.2008 के द्वारा दीपाराम का नाम वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 1740 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। दीपाराम ने 01 बीघा भूमि का पंजीबद्ध बेचान दिनांक 18.01.2010 को हरदेव पुत्र उदाराम के पक्ष में निष्पादित करने पर जरिये नामांतरकरण संख्या 1824 स्वीकृत दिनांक 09.02.2010 के हरिदेव पुत्र उदाराम का नाम वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। खातेदार हजारीराम की दिनांक 10.12.2008 को फौतगी होने पर जरिये म्यूटेशन संख्या 1885 स्वीकृत दिनांक 20.04.2010 को उनके विधिक वारिशान गोपाल पुत्र हजारी राम व कनको पत्नी हंजारीराम का नाम वादग्रस्त आराजी में दर्ज हुआ। प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित बेचान अनुसार उसके पक्ष में दायर म्यूटेशन संख्या 964 दिनांक 20.10.2006 की पालना में तत्समय चौसाले की जमाबंदी में प्रार्थी भंवरलाल पुत्र तुलसाराम का नाम अवश्य इन्द्राज कर दिया लेकिन उनके द्वारा खरीदी गई भूमि का रकबा/हिस्सा अंकित नहीं किया था एंव तत्समय से राजस्व रेकर्ड के ऑनलाईन होने तक सभी जमाबंदी बिना हिस्सों के जारी होती रहीं थी एंव सेग्रीगेसन के दौरान हल्का पटवारी व राजस्व कर्मियों द्वारा बिना रेकर्ड की जांच किए मनमर्जी से गलत हिस्सों का अंकन राजस्व रेकर्ड में कर दिया जिसे दुरस्त किया जाना न्यायोचित हैं। मौजा बाड़मेर आगोर में खसरा संख्या 1740 रकबा 2.1044 की भूमि राजस्व कर्मियों द्वासरा प्रार्थी के वास्तविक हिस्से 1/13 को कम करने की त्रृटि की जिसको दुरस्त किए जाने हेतू यह आवेदन प्रस्तुत किया हैं अतः मौजा बाड़मेंर आगोर तहसील व जिला बा[illegible]सरा संख्या 1740 रकबा 2.1044 किस्म बा.दो. में प्रार्थी का वास्त[illegible] / 13 [illegible] बीघा(0.1619 हेक्टेयर) दर्ज करवाने का आदेश करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:46:26 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को [illegible] नोटिस तलब किया गया, नोटिस तामिल की श्रैणी में प्राप्त हुए विप्रार्थीगण अनुपस्थित होने पर एकपक्षीय कार्यवाहीं अमल में लाई गई। तहसीलदार बाडमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भू.अ./2025/2302 दिनांक 13.08.2025 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा बाड़मेर आगोर के खसरा संख्या 1740

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

रकबा 2.1044 हैक्टेयर में पूर्व में श्री चनणा पुत्र हरचन्द 1/2 व केवलचंद पुत्र गोरखाराम का 1/2 हिस्सा था, चनणाराम की मृत्यु से पूर्व उनके पुत्र गोधूलाल की मृत्यु हो गई थी। इसलिए चनणाराम के फौतगी म्यूटेशन में गोधूलाल के वारिशान जगदीश 1/8, हंजारी 1/8 शंकर 1/8 पि. गोधूलाल, लूणी पत्नी गोधूलाल 1/8 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना चाहिए, खातेदार जगदीश द्वारा अपनक हिस्सक 1/8 में से एक बीघा(1/13 हिस्सा) भूमि को बेचान प्रार्थी श्री भंवरलाल पुत्र तुलछाराम को किया गया जिसका म्यूटेशन संख्या 964 दिनांक 05.07.2006 स्वीकृत किया गया तथा शेष जगदीश का हिस्सा 5/104 होना चाहिए था। सहखातेदार शंकर लाऔलाद फौत होने से उसका हिस्सा सहखातेदारों में समाहित होने पर जगदीश का हिस्सा नामान्तरण संख्या 1443 के पश्चात 0.1349 हैक्टेयर होना चाहिए था परन्तु तात्कालिक जमाबन्दियों में हिस्से दर्ज नहीं होने से जगदीश अपने हिस्से 5/78 रकबा 0. 1349 हैक्टेयर की जगह एक बीघा(0.1619 हैक्टेयर) भूमि का बेचान विप्रार्थी संख्या 02 को किया गया जिसका नामान्तरकरण संख्या 1772 दिनांक 05.12.2009 स्वीकृत कर राजस्व रेकर्ड में अलमदरामद किया गया। जगदीश द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान करने उसका नाम राजस्व रेकर्ड में हटाया जाना अपेक्षित है।। विप्रार्थी संख्या 02 उगम पत्नी किशनाराम द्वारा क्रेता के हिस्से से अधिक भूमि का क्रय किया गया। इसलिए विप्रार्थी संख्या 02 वर्तमान हिस्सा 1/13 के स्थान पर 5/78 ही रहना चाहिए। शेष खातेदारन का हिस्सा प्रभावित नहीं हो रहा है, परन्तु हिस्सों का सही विवरण निम्नानुसार रहेगा :–

क.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	वर्तमान हिस्सा	शुद्ध हिस्सा	वि.वि.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	उगम	किशनाराम	1/13	5/78	–
2	कनकोंदेवी	हंजारीराम	183/2600	11/156	–
3	केवलचंद	गोरखाराम	1/2	1/2	–
4	गोपाल	हंजारीलाल	367/5200	11/156	
5	भंवरलाल	तुलछाराम	1/26	1/13	–
6	भीखाराम	उदाराम	1/13	1/13	–
7	लूणीदेवी	गोधूलाल	167/2600	5/78	–
8.	हरिदेव	उदाराम	1/13	1/13	–

प्रार्थी का मौका स्थिति अनुसार मौके पर एक बीघा भूमि चारदीवारी बनी हुई है। अन्य किसी खातेदारान का विशिष्ट [illegible] खातेदारान की मौके पर कास्त नहीं की हुई हैं।

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा सारणी में [illegible] अनुसार हिस्सो को दुरस्त करने की अनुशंषा की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:46:26 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बाडमेर की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार मौजा व पटवार हल्का बाड़मेंर आगोर तहसील व जिला बाड़मेंर के खेत खसरा संख्या 1740 रकबा 2.1044 किस्म बा.दो. में प्रार्थी का वास्तविक हिस्सा 1/13 अर्थात 1 बीघा(01619 हैक्टेयर) दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2073–2076 व नामान्तरकरण का अवलोकन किया गया तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अंकित वर्तमान में प्रार्थी के हिस्से को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार हिस्सो को दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए मौजा व पटवार हल्का बाड़मेंर आगोर तहसील व जिला बाड़मेंर के खेत खसरा संख्या 1740 रकबा 2.1044 हेक्टेयर में प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 से 9 के हिस्सो को निम्नानुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	वर्तमान हिस्सा	शुद्ध हिस्सा	वि.वि.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	उगम	किशनाराम	1/13	5/78	–
2	कनकोंदेवी	हंजारीराम	183/2600	11/156	–
3	केवलचंद	गोरखाराम	1/2	1/2	–
4	गोपाल	हंजारीलाल	367/5200	11/156	
5	भंवरलाल	तुलछाराम	1/26	1/13	–
6	भीखाराम	उदाराम	1/13	1/13	–
7	लूणीदेवी	गोधूलाल	167/2600	5/78	–
8.	हरिदेव	उदाराम	1/13	1/13	–

तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 13.08.2025 आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 12.09.2025 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:46:26 IST
Reason: SelfAttested